

# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 22.9.17

मि.न.162/17

सरकार बनाम रुधवीर वगै०

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपालपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश-कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख० न० 455 रकबा 61.84 है० किस्म जमीन गै० मु० नदी में से 2.00 है० पर रुधवीर. उमराव. ख्याली मुरारी बाबूलाल राजाराम पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से जोत कर अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । कोई जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल रुधवीर. उमराव. ख्याली मुरारी बाबूलाल राजाराम पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा द्वारा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख० न० 455/61.84 किस्म जमीन गै० मु० नदी में से 2.00 है० पर जोत कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः रुधवीर. उमराव. ख्याली मुरारी बाबूलाल राजाराम पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख० न० 455/61.84 है० किस्म जमीन गै० मु० नदी मेंसे 2.00 है० पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 4.00का पचास गुणा 200 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

  
तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)

17-01-18 क रा० ल० ५  
नम्बरा 92 पर 200 रु  
प किये गये ।